




माह जुलाई के उत्तर मध्य रेलवे/रे.सु.ब. प्रयागराज के चयनित अच्छे कार्य निम्नवत है:-

क्र० सं०	मण्डल	विवरण	फोटो
1.	प्रयागराज	<p>रे.सु.ब. पोस्ट मिर्जापुर- दिनांक 24.07.2022 को रे.सु.ब. व जीआरपी मिर्जापुर द्वारा प्लेटफार्म नंबर 2, 3 के पूर्वी किनारे पर एक व्यक्ति को 8 बच्चों के साथ संदिग्ध अवस्था में लेकर खड़ा देखा जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मो. नसीमउद्दीन पुत्र मोहम्मद पाचू नदाफ, निवासी ग्राम मधेली वार्ड नंबर-15 शंकरपुर मधेपुरा, (बिहार) बताया। जिससे सीडब्ल्यूसी के मेंबर मनीष कुमार त्रिपाठी हमराह स्टाफ द्वारा पूछताछ करने पर उपरोक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि इन बच्चों को कर्नाटक दारुल उलूम रहमानिया इलकल तालुका जिला बागलकोट, कर्नाटक स्कूल में पढ़ाने के लिए ले जा रहा है। जिसके प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद अशफाक सिद्धकी व प्रबंधक उस्मान गनी कर्नाटक है। उपरोक्त व्यक्ति के साथ मिले 08 बच्चों के नाम- 01. अशफर आलम, उम्र 10 वर्ष, 02. मोहम्मद उसुफ, उम्र 13 वर्ष, 03. करीम, उम्र 10 वर्ष, 04. नन्हा, उम्र 11 वर्ष, 05. मोहम्मद अबुल, उम्र 10 वर्ष, 06. खुशदिल, उम्र 10 वर्ष, 07. सुफियान, उम्र 10 वर्ष, 08. नईस, उम्र 11 वर्ष को चाइल्ड लाइन हेल्पडेस्क स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति मिर्जापुर उत्तर प्रदेश को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया व उक्त व्यक्ति को पूछताछ करने हेतु जीआरपी मिर्जापुर द्वारा अपने साथ ले जाया गया।</p>	
2.	झांसी	<p>रे०सु०ब० पोस्ट-ग्वालियर दिनांक 04.07.2022 को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मुखबिरखास की सूचना पर एक महिला ट्राली बैग में गांजा लेकर स्टेशन से बाहर गई है व ऑटो में बैठकर मुरार तरफ भागी है। तुरंत पुलिस थाना मुरार के एसएचओ से समन्वय स्थापित करते हुए रे०सु०ब० व सिविल पुलिस मुरार द्वारा एक नफर संदिग्ध महिला को मय नाजायज 14 किग्रा० गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम- रे.सु.ब टीम 1. स.उ.नि हसन मोहम्मद पोस्ट रे०सु०ब०/ग्वालियर 2. प्रधान आरक्षक दीपेंद्र सिंह भदौरिया सीपीडी टीम 3. आरक्षक राजकुमार सिंह तोमर सीपीडी टीम 4. आरक्षक शकील खान सीपीडी टीम 5. आरक्षक दीपक गुप्ता डिटेक्टिव बिंग/ग्वालियर 6. महिला आरक्षी भावना मोदी पोस्ट रे०सु०ब०/ग्वालियर अभियुक्त का विवरण- मनु सिन्हा पुत्री रत्न सिन्हा, उम्र-28 वर्ष, निवासी-मास्टरपारा, सीतारामपुर अमडिहा बर्धमान (पश्चिम बंगाल) जब्त सामग्री- 14 किग्रा० कुल कीमत लगभग रु 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) कृत कार्यवाही- अभियुक्त को मुरार पुलिस थाने में सुपुर्द किया गया जहाँ उसके विरुद्ध अ.क्र. 610/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया।</p>	
3.	झांसी	<p>रे०सु०ब० पोस्ट-वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन दिनांक 21.07.2022 को निरीक्षक रे.सु.ब.पोस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन व निरीक्षक डिटेक्टिव विंग झांसी के नेतृत्व में रे.सु.ब. पोस्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी व जीआरपी झांसी द्वारा संयुक्त रूप से 01 शातिर मोबाइल चोर को मय 03 अदद चोरित मोबाइल के साथ झांसी स्टेशन पर पकड़ा गया। आरोपी द्वारा बताया गया कि उक्त मोबाइल को पूर्व में झांसी स्टेशन तथा आने जाने वाली ट्रेनों से चुराया था। गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 01.अमित कुमार पुत्र रमेश उम्र 19 वर्ष, निवासी चूरईपुरवा थाना मैंगलगंज जिला लखीमपुर खीरी (उ.प्र) बरामदगी- 01. सैमसंग मोबाइल फोन 02. ओप्पो मोबाइल फोन 03. रियल मी एक्स 2 मोबाइल फोन कुल कीमत करीब 47500/- रुपए "अनावरित अभियोग" 01. मु०अ०स०- 392/2021 धारा 380, 411 आईपीसी 02. मु०अ०स 534/2021 धारा 380, 411 आईपीसी 03. मु०अ०स० 545/2021 धारा 380, 411 आईपीसी</p>	

		<p>गिरफ्तार करने वाली टीम- 01 उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह यादव 02 आरक्षक हेमंत कुमार 03 हेड कांस्टेबल उमेश कुमार डिटेक्टिव विंग झांसी 04 कांस्टेबल अरुण सिंह राठौर डिटेक्टिव विंग झांसी</p> <p>जीआरपी झांसी स्टेशन- 01 उप निरीक्षक गजराज सिंह जीआरपी झांसी 02. उप निरीक्षक मनोज उज्जवल जीआरपी झांसी 03. हेड कांस्टेबल योगेश कुमार जीआरपी झांसी</p>	
4.	आगरा	<p>दिनांक 30.07.2022 को उपनिरीक्षक सुरेश चौधरी, हेड कां. जीतराम जाट, कां. प्रमोद कुमार RPF/AGC एवं उप निरीक्षक सूरजमल मय स्टाफ जीआरपी आगरा छावनी द्वारा अपराधिक रोकथाम व गस्त के दौरान आगरा छावनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4/5 पर दिल्ली एंड की ओर 2 व्यक्तियों को हरे रंग के बैगों को अपने अपने कंधों पर टांगे हुए आते मिले जो पुलिस वालों को देख कर तेज कदमों से चलने लगे। दोनो व्यक्तियों पर संदेह होने पर बैगों के साथ खेरिया पुल के रास्ते पर बंद गेट के पास पकड़ लिया। दोनो व्यक्तियों के बैगों को चेक करने पर पहले व्यक्ति के बैग के अंदर से 3 बंडल खाकी रंग की टेप से लिपटे हुए जिनका कुल वजन 16.00 किग्रा0 गांजा व दूसरे व्यक्ति के बैग के अन्दर से एक बंडल खाकी रंग की टेप से लिपटा हुआ जिनका कुल वजन 14.00 किग्रा0 गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उप निरीक्षक GRP/AGC द्वारा मौके की कार्यवाही व गिरफ्तारी अमल में लाई गई।</p> <p>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:- 01.मुन्ना नायक मुन्ना नायक पुत्र देवदत्त नायक उम्र 27 वर्ष निवासी चांदीपुट थाना मोहना जिला गजपति उड़ीसा पिन नंबर 761017 , 02.बुल्लू लिमा पुत्र अन्नतपलिमा उम्र 25 वर्ष निवासी चांदीपुट थाना मोहना जिला गजपति उड़ीसा पिन नंबर 761017</p> <p>पंजीकृत अभियोग का विवरण 1) मु0अ0सं0- 194/2022 धारा 8/20,(NDPS Act) (2) मु0अ0सं0- 195/2022 धारा- 8/20,(NDPS Act)</p> <p>'बरामद गांजा 30.00 किग्रा0 अनुमानित कीमत 3,60,000/- रुपये।</p>	